प्रेस नोट

(दिनांक 06.05.2026)

थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वाँछित 1 नफर इनामिया अभियुक्त को आला कत्ल 1 अदद लाठी के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना स्थानीय पर दिनांक 01.05.2026 को श्री ज्ञान सिंह यादव पुत्र स्व0 सुन्दर लाल निवासी ग्राम पूरे रहिमालन मजरे जमरावां थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर द्वारा लिखित तहरीर दिया कि मेरे गाँव के 1.कमलेश यादव पुत्र श्याम सिंह 2. मनीश पुत्र कमलेश 3. सचिन यादव पुत्र राकेश सिंह 4. सुरेन्द्र यादव पुत्र विश्वास बहादुर 5.अशोक कुमार पुत्र विश्वास बहादुर 6.विश्वास बहादुर पुत्र स्व0 नर सिंह 7. श्याम सिंह पुत्र स्व0 नर सिंह निवासीगण ग्राम पूरे रहिमालन मजरे जमरावां थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर 8.मुन्ना यादव पुत्र रामेन्द्र सिंह 9.श्याम सिंह पुत्र रामेन्द्र 10.मोछई पुत्र सुमेर सिंह निवासीगण ग्राम पूरे सिक्का मजरे जमरावां थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर से पुरानी रंजिश चल रही थी। दिनांक 01.05.2026 को समय 10.00 बजे मेरे बडे भाई मान सिंह यादव पुत्र स्व0 सुन्दर लाल उम्र करीब 59 वर्ष व भाभी श्रीमती ननकी देवी पत्नी मान सिंह यादव उम्र करीब 55 वर्ष व मेरा भतीजा अभिमन्यु उर्फ कुन्नू उम्र लगभग 32 वर्ष अपने दरवाजे के सामने बैठे थे। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण लाठी डण्डा व राड से योजनाबद्ध तरीके से एकराय होकर हमला कर गम्भीर चोट पहुँचाये। घायलों को इलाज हेतु सीएचसी हुसैनगंज लाया गया। डाक्टर द्वारा घायलों की गम्भीर स्थिति देखते हुए जिला चिकित्सालय फतेहपुर के लिए रेफर कर दिये। जहाँ पर इलाज के दौरान भतीजा अभिमन्यु उर्फ कुन्नू उम्र लगभग 32 वर्ष की मृत्यु हो गयी तथा भाई व भाभी का इलाज होने के सम्बन्ध में दाखिल किया था जिसका थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/105 BNS का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना से साक्ष्य धारा 103(2)/3(5) बीएनएस का पाये जाने के कारण विवेचना धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/103(2)/3(5) बीएनएस में तरमीम कर सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त के वाँछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ,श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर फतेहपुर के निकट पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 पुलिस टीम गठित की गयी। जिसमें इनामिया अपराधी रवि यादव पुत्र जयसिंह यादव निवासी ग्राम मिर्जापुर तालुका मजरा जमरावां थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब 19 वर्ष को मय

आला कत्ल लाठी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का नाम पताः—

1. रवि यादव पुत्र जयसिंह यादव उम्र करीब 19 वर्ष
   निवासी ग्राम मिर्जापुर तालुका मजरा जमरावां थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।

अपराधिक इतिहासः-

- **अभियुक्त रवि यादव उपरोक्त-**
  1.मु0अ0सं0 82/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/103(2)/3(5) बीएनएस थाना हुसैनगंज फतेहपुर
  2.मु0अ0सं0 22/2024 धारा 406/506 भादवि थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी का दिनाक व समय/स्थानः- दिनांक 06.05.2026 समय 00.30 बजे ,स्थानः- अभियुक्त का घर वहद ग्राम मिर्जापुर तालुका मजरा जमरावां थाना हुसैनगंज।

बरामदगीः- अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद लाठी आला कत्ल

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार पाण्डेय थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
2.अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
3.उ0नि0 श्री उग्रेशदत्त त्रिपाठी थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
4. उ0नि0 श्री भारतेन्दु सिंह थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
5.कां0 जितेन्द्र कुमार थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
6.रिक्रूट आरक्षी शनि कुशवाहा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
7. रिक्रूट आरक्षी किशन कुमार मौर्या थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर

इन्टेलीजेन्स विंग टीम जनपद फतेहपुर

उ0नि0 श्री विनोद मिश्रा प्रभारी इन्टेलीजेन्स विंग टीम फतेहपुर मय टीम